रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 169] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 14, 1993/वैशाख 24, 1915
No. 169] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 14, 1993/VAISAKHA 24, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 1993

सं. 122/93—सीमाशुल्क

सा. का. नि. 417(अ):—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, पूंजी उपस्कर और अतिरिक्त पुर्जों को, जो वस्तुतः आयातित पूंजी उपस्कर के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के दस प्रतिशत से अनधिक ऐसे पूंजी उपस्कर के अनुरक्षण के लिए अपेक्षित है, ऐसे आयातकर्ता द्वारा भारत में आयात करने पर, जो इस बाध्यता का वचन देता है कि वह ऐसे पूंजी उपस्कर के उपयोग के माध्यम से दी गई सेवाओं के लिए, उक्त पूंजी उपस्कर और अतिरिक्त पुर्जों के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के चार गुना के बराबर मुक्ततः संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में संदाय पांच वर्ष की अवधि में उस पर उद्ग्रहणीय उतने सीमा-शुल्क में से प्राप्त करेगा जो सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, और जो उक्त सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय पन्द्रह प्रतिशत मूल्यानुसार और संपूर्ण अतिरिक्त शुल्क से अधिक है, निम्नलिखित शर्तों के अधीन छूट देती है ;

(i) आयातित पूंजी उपस्कर और अतिरिक्त पुर्जे निर्यात और आयात नीति के निबंधनों के अनुसार सेवा सैक्टर के लिए निर्यात संवर्धन पूंजी माल स्कीम के अधीन जारी की गई विधिमान्य अनुज्ञप्ति के अंतर्गत आते हैं और उक्त अनुज्ञप्ति निकासी के समय विकलन के लिए प्रस्तुत की जाए ;

(ii) आयातकर्ता, निकासी के समय, सहायक सीमा-शुल्क कलैक्टर के समक्ष, निर्यात और आयात नीति के पैरा 45 के अधीन बन्धपत्र निष्पादित करने के संबंध में अनुज्ञापन प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है; और

(iii) आयातकर्ता, उक्त पूंजी उपस्कर और अतिरिक्त पुर्जों की निकासी के समय, सहायक सीमा-शुल्क कलक्टर के समक्ष, ऐसे प्ररूप में जो सहायक सीमा-शुल्क कलक्टर विनिर्दिष्ट करे घोषणा करता है जिसमें वह अपने को आबद्ध करता है कि वह मांग करने पर ऐसे पूंजी उपस्कर और अतिरिक्त पुर्जों पर, जिनके बारे में इस अधिसूचना की शर्तों का अनुपालन नहीं

हुआ है, उद्ग्रहणीय शुल्क के बराबर रकम का, इसमें अंतर्विष्ट छूट के न होने पर, संदाय करेगा ।

स्पष्टीकरण— इस अधिसूचना में,—

(i) "पूंजी उपस्कर" से वह उपस्कर अभिप्रेत है जिसे इस निमित्त विदेशी व्यापार महानिदेशक द्वारा जारी की गई लोक सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए और जो ऐसी सेवाएं देने के लिए अपेक्षित है जिसके लिए संदाय मुक्ततः संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया जाता है ;

(ii) "निर्यात और आयात नीति" से निर्यात और आयात नीति, 1 अप्रैल 1992—31 मार्च, 1997 अभिप्रेत है जो भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित लोक सूचना सं. 1 आई टी सी (पी एन) 92—97, तारीख 31 मार्च, 1992 के अनुसार प्रकाशित की गई है; और

(iii) "अनुज्ञापन प्राधिकारी" से विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) के अधीन नियुक्त विदेशी व्यापार महानिदेशक या उसके द्वारा अनुज्ञप्ति देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी अभिप्रेत है ।

[फा. सं. 605/70/93—डी बी के]

बी. एल. गुर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 1993

NO. 122/93-CUSTOMS

G.S.R. 417(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts capital equipments, and spare parts required for maintenance of such capital equipment not exceeding 10 per cent of the C.I.F. value of the capital equipments actually imported, when imported into India by an importer undertaking an obligation to receive payments in freely convertible foreign currency for services rendered through the use of such capital equipment, equivalent to four times the C.I.F. value of the said capital equipments and spare parts over a period of five years, from so much of the duty of customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) as is in excess of 15 per cent ad valorem and whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act, subject to the following conditions, namely :—

(i) the capital equipments and spare parts imported are covered by a valid licence issued under the Export Promotion Capital Goods (E.P.C.G.) Scheme for Service Sector in terms of the Export and Import Policy and the said licence is produced for debit at the time of clearance;

(ii) the importer, at the time of clearance, produces before the Assistant Collector of Customs, a certificate from the licensing authority for having executed a bond under paragraph 45 of the Export and Import Policy; and

(iii) the importer at the time of clearance of the said capital equipments and spare parts makes a declaration before the Assistant Collector of Customs, in such form as the said Assistant Collector of Customs may specify, binding himself to pay on demand an amount equal to the duty leviable on such capital equipments and spare parts, but for the exemption contained herein, in respect of which the conditions of this notification have not been complied with.

Explanation.—In this notification,—

(i) "capital equipment" means the equipment as may be specified in a Public Notice issued by the Director General of Foreign Trade in this behalf and required for rendering services for which payment is received in freely convertible foreign currency;

(ii) "Export and Import Policy" means Export and Import Policy, 1 April 1992—31 March 1997 published vide Public Notice of the Government of India in the Ministry of Commerce No. 1-ITC(PN) 92—97, dated the 31st March, 1992, as amended from time to time; and

(iii) "licensing authority" means Director General of Foreign Trade, appointed under Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992) or an officer authorised by him to grant a licence.

[F. No. 605/70/93-DBK]

B. L. GUR, Under Secy.

Printed by the Manager Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993